

भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-11, खण्ड 3

उपखण्ड (ii) में प्रकाशार्थ

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

~~भारत सरकार~~

~~वित्त मंत्रालय~~

~~(राजस्व और बीमा विभाग)~~

नई दिल्ली, दिनांक 4 अक्टूबर, 1975

शुद्धि पत्र

का० नि० सं० भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) दिनांक 19 दिसम्बर 1974 के पृष्ठ 2679 पर प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 726(अ) में कृपया निम्नलिखित संशोधन कर लिए जाएं:-

1. दूसरे पैराग्राफ के भाग (ख) की अन्तिम पंक्ति के अन्त में उद्धरण चिन्ह के बाद 'i' को हटा दिया जाय।

[ सं 1122/सं सं० 142/19/75-टी०पी०एल० ]

हं

(ओ० पी० भारद्वाज)

सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

(ब)

78/75

TAL